NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 11-02-2026

विषय सूची

सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र से उसके एससी/एसटी उप-वर्गीकरण संबंधी निर्णय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत

भारत व्यापार समझौते में डिजिटल सेवाओं पर शून्य कर लगाने के लिए प्रतिबद्ध

"कृषि मंत्री द्वारा छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि मॉडल अपनाने का आग्रह

संक्षिप्त समाचार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

भारत द्वारा 2025 में दर्ज किया सर्वाधिक चाय निर्यात

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025

अमेरिका–बांग्लादेश व्यापार समझौता अमेरिकी बाज़ार में भारत की शुल्क बढ़त को प्रभावित करता है

गोल्ड ईटीएफ

सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन

संदर्भ

- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2026 में संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

परिचय

- ये संशोधन 20 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे और इनका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), तथा गैर-सहमति वाली निजी छवियों (NCII) के तीव्र प्रसार को रोकना है।
- **कृत्रिम मीडिया (Synthetic Media):** "कृत्रिम मीडिया" को परिभाषित किया गया है कि यह ऐसा सामग्री है जो किसी वास्तविक व्यक्ति या वास्तविक घटना जैसी प्रतीत हो सकती है और दर्शकों को यह विश्वास दिला सकती है कि यह वास्तविक है।
- **आवश्यकता:** यह कदम डीपफेक, प्रतिरूपण, भ्रामक जानकारी तथा कृत्रिम मीडिया के धोखाधड़ी, उत्पीड़न और अन्य अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

संशोधित नियम

- **प्रतिबंधित सामग्री:** प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सेवाओं का उपयोग बाल यौन शोषण सामग्री, अश्लील या अभद्र सामग्री, प्रतिरूपण, झूठे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, या हथियारों, विस्फोटकों अथवा अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित कृत्रिम सामग्री के निर्माण या प्रसार के लिए न किया जाए।
- **अनिवार्य लेबल:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और अन्य डिजिटल मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कृत्रिम सामग्री को स्पष्ट रूप से एआई-जनित के रूप में चिह्नित किया जाए।
- प्लेटफ़ॉर्म को स्थायी मेटाडेटा या तकनीकी स्रोत संकेतक (जैसे विशिष्ट पहचानकर्ता) सम्मिलित करने होंगे, ताकि कृत्रिम सामग्री को मूल प्लेटफ़ॉर्म या प्रणाली तक वापस खोजा जा सके।
- मध्यस्थों को इन लेबलों या मेटाडेटा को हटाने या छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी।
- **घोषणाएँ और जवाबदेही:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को अपलोड के समय उपयोगकर्ताओं से यह घोषणा प्राप्त करनी होगी कि प्रस्तुत की जा रही सामग्री कृत्रिम रूप से उत्पन्न या एआई द्वारा परिवर्तित है या नहीं।
  - प्लेटफ़ॉर्म से अपेक्षा की जाएगी कि वे इन घोषणाओं की सत्यता का सत्यापन करें।
- **प्राधिकरण द्वारा आदेश:** नियम पुलिस अधिकारियों को, जो उप महानिरीक्षक (DIG) से नीचे के पद पर न हों, हटाने के आदेश जारी करने के लिए नामित करने की अनुमति देते हैं।
- **समयसीमा:** कुछ मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को अब वैध आदेशों या उपयोगकर्ता शिकायतों पर तीन घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी, जो पहले 36 घंटे थी।
- अन्य प्रतिक्रिया समयसीमाएँ भी घटाई गई हैं—15 दिन से घटाकर 7 दिन, और 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे, उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को अब उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता कानूनों, नीतियों, प्रतिबंधित सामग्री एवं उपलब्ध उपायों के बारे में कम से कम प्रत्येक तीन महीने में सूचित करना होगा, जो पहले वर्ष में एक बार किया जाता था।
- **दंड:** नई समयसीमाओं का पालन न करने पर वर्तमान सोशल मीडिया मध्यस्थ कानूनों के अंतर्गत आपराधिक मुकदमेबाज़ी का सामना करना पड़ेगा।

स्रोत: LM

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र से उसके एससी/एसटी उप-वर्गीकरण संबंधी निर्णय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग

संदर्भ

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक शपथपत्र के साथ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें यह विवरण हो कि 1 अगस्त, 2024 के संविधान पीठ के निर्णय को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। इस निर्णय में अनुसूचित जातियों (SCs) के अंदर आरक्षण उद्देश्यों के लिए उप-वर्गीकरण

की अनुमति दी गई थी तथा क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) तक विस्तारित किया गया था।

पृष्ठभूमि: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)

- **सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा:** क्या राज्य अनुसूचित जातियों (SCs) को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची के अंदर उप-वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सके?
  - क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत SCs और STs पर लागू किया जा सकता है?

न्यायालय के प्रमुख निर्णय (6:1 बहुमत)

- **उप-वर्गीकरण की अनुमति:** न्यायालय ने माना कि SCs एक समान वर्ग नहीं हैं और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि SC समुदायों के अंदर भी असमानता है।
- राज्यों को SCs के अंदर उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति दी गई ताकि आरक्षण लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके।
- इसने 2004 के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय को परिवर्तित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि SCs एक समान वर्ग हैं और उनका उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।
- **क्रीमी लेयर सिद्धांत का विस्तार:** बहुमत ने SCs और STs पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का समर्थन किया।
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करना संविधान के अंतर्गत वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- इसका अर्थ है कि यदि राज्य ऐसी नीति बनाता है तो SC/ST समुदायों के सामाजिक या आर्थिक रूप से उन्नत सदस्य आरक्षण लाभों से बाहर किए जा सकते हैं।
- **संवैधानिक व्याख्या:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची का हस्तक्षेप नहीं है।
- यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करता।
- इसका उद्देश्य केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि वास्तविक समानता प्राप्त करना है।
- **विरोधी मत:** न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त की और कहा कि SCs एक समान वर्ग हैं।
- राज्यों को उनका उप-विभाजन करने का अधिकार नहीं है।
- ऐसा कोई भी प्रयास अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा।

आरक्षण उद्देश्यों के लिए SCs के भीतर उप-वर्गीकरण

- अनुसूचित जातियों (SCs) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
  - उप-वर्गीकरण का अर्थ है SC श्रेणी को सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर उप-समूहों में विभाजित करना।
- **तर्क: उप-वर्गीकरण की मांग क्यों की जा रही है**
  - **लाभों तक असमान पहुँच:** कुछ राज्यों में अनुभवजन्य आंकड़े दर्शाते हैं कि लाभ कुछ ही SC उप-जातियों में केंद्रित हैं।
  - **वास्तविक समानता:** सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए सबसे पिछड़ों को प्राथमिकता देना आवश्यक हो सकता है।
  - **सामाजिक न्याय की गहराई:** यह संविधान की उस दृष्टि से सामंजस्यशील है जिसमें सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का उद्देश्य है।
- **चिंताएँ और प्रतिवाद:**
  - **दलित एकता का विखंडन:** आलोचकों का कहना है कि इससे पहले से ही हाशिए पर वर्तमान समुदायों में विभाजन हो सकता है।
  - **प्रशासनिक जटिलता:** SCs के अंदर सापेक्ष पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए समय-समय पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक होंगे।
  - **संभावित राजनीतिकरण:** उप-वर्गीकरण सामाजिक न्याय के बजाय चुनावी लामबंदी का साधन बन सकता है।
    - साथ ही, चूँकि SC सूची राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अधिसूचित की

जाती है, यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्यों के पास बिना केंद्रीय सूची में परिवर्तन किए आंतरिक विभाजन करने की विधायी क्षमता है।

SCs और STs तक क्रीमी लेयर सिद्धांत का विस्तार

- **क्रीमी लेयर सिद्धांत के बारे में:** 'क्रीमी लेयर' उन अपेक्षाकृत संपन्न, शिक्षित और सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों को संदर्भित करता है जिन्हें आरक्षण लाभों से बाहर रखा जाता है।
- इसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में प्रस्तुत किया था।
- न्यायालय ने OBCs के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि OBCs में 'क्रीमी लेयर' को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य वास्तव में पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना है, न कि उसी समूह के अंदर लाभों को स्थायी बनाना।
- वर्तमान में क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल OBCs पर लागू होता है, SCs और STs पर नहीं।

SCs और STs को अलग क्यों माना गया?

- SCs और STs के लिए आरक्षण ऐतिहासिक भेदभाव और अस्पृश्यता पर आधारित है, केवल सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन पर नहीं।
- इसका संवैधानिक आधार निम्नलिखित है:
  - **अनुच्छेद 15(4):** सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान।
  - **अनुच्छेद 16(4):** सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण।
  - **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का उन्मूलन।
  - SCs और STs को संरचनात्मक और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय माना गया है, जहाँ सामाजिक कलंक आर्थिक उन्नति से समाप्त नहीं होता, जैसा कि OBCs के मामले में होता है।

स्रोत: IE

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत

संदर्भ

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 94(ग) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव (पद से हटाने का संकल्प) प्रस्तुत किया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष

- लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद के निम्न सदन के अध्यक्षीय अधिकारी होते हैं और सदन के संवैधानिक एवं औपचारिक प्रमुख माने जाते हैं।
  - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के निर्वाचन का प्रावधान करता है।
  - सामान्यतः सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य अध्यक्ष चुना जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर आरोपित होते हैं और इस प्रकार संसद के वार्षिक मत से अप्रभावित रहते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति

- लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के दो प्रकार से हो सकती हैं:
  - प्रथम और सर्वाधिक प्रचलित तरीका यह है कि सत्तारूढ़ दल एक उम्मीदवार का नामांकन करता है। विपक्षी दल से औपचारिक परामर्श के बाद उस उम्मीदवार को संबंधित सभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष नामित किया जाता है।
  - दूसरा, कम प्रचलित तरीका यह है कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दल, दोनों ही अपने-अपने पक्ष से एक-एक उम्मीदवार का नामांकन करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के उपस्थित सांसदों द्वारा मतदान के आधार पर किया जाता है।
- लोकसभा की 72 वर्षों की अवधि में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव केवल तीन बार हुए हैं—1952, 1976 और 2024 में।

अध्यक्ष का पद से हटाया जाना

- **अनुच्छेद 94(ग):** अध्यक्ष को लोकसभा के संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे सदन के उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है।
  - इसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है (सदन की कुल प्रभावी शक्ति का बहुमत, रिक्तियों को छोड़कर)।

- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो अध्यक्ष तत्काल पद से हटा दिए जाते हैं, किंतु वे सांसद बने रहते हैं।
- **सूचना की आवश्यकता:** संकल्प प्रस्तुत करने से कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
- **न्यूनतम समर्थन:** प्रस्ताव को चर्चा हेतु स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
- **प्रस्ताव लंबित रहने के दौरान:**
  - अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
  - उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करता है।
  - अध्यक्ष को चर्चा में भाग लेने और अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है।

अब तक पदच्युत किए गए लोकसभा अध्यक्ष

- लोकसभा के किसी भी अध्यक्ष को अब तक अविश्वास या पद से हटाने के संकल्प द्वारा सफलतापूर्वक पद से नहीं हटाया गया है। प्रयास किए गए, किंतु वे पद पर बने रहे।
- 1954 में अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया।
- 1966 में अध्यक्ष हुक्म सिंह के विरुद्ध भी ऐसा ही प्रस्ताव आया।
- 1987 में अध्यक्ष बलराम जाखड़ के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- 1969 में अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने त्यागपत्र दिया। बाद में वे देश के राष्ट्रपति बने।
- प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर का निधन पद पर रहते हुए हुआ।
- 2002 में अध्यक्ष जी.एम.सी. बालायोगी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, जब वे पद पर कार्यरत थे।

स्रोत: TH

भारत व्यापार समझौते में डिजिटल सेवाओं पर शून्य कर लगाने के लिए प्रतिबद्ध

संदर्भ

- भारत ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के अंतर्गत डिजिटल सेवाओं पर शून्य कर लगाने और डिजिटल प्रसारणों पर सीमा शुल्क न लगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

डिजिटल सेवाएँ और डिजिटल प्रसारण क्या हैं?

- **डिजिटल सेवाएँ:** इनमें सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) प्लेटफ़ॉर्म जैसे कैनवा और सेल्सफोर्स, ऑनलाइन गेमिंग, ई-पुस्तकें, स्ट्रीमिंग सेवाएँ, स्वचालित डिजिटल विज्ञापन, तथा क्लाउड-आधारित समाधान शामिल हैं।
- **डिजिटल प्रसारण:** इसका तात्पर्य डेटा के सीमा-पार संचरण से है, जिसमें ईमेल, सॉफ़्टवेयर डाउनलोड, क्लाउड सेवाएँ, एआई मॉडल तक पहुँच, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित सामग्री सम्मिलित हैं।

भारत की डिजिटल कर व्यवस्था का विकास

- वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से समानीकरण उपकर (Equalisation Levy) लागू किया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था से उत्पन्न कर संबंधी चुनौतियों का समाधान करना था।
  - वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारत में पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रही थीं, जबकि पारंपरिक कर नियमों के अंतर्गत उनका "स्थायी प्रतिष्ठान" नहीं था।
  - इस अधिभार का उद्देश्य घरेलू कंपनियों और विदेशी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के बीच कराधान में समानता स्थापित करना था।
- **भारत का डिजिटल सेवाएँ कर (DST):** भारत ने पूर्व में निम्नलिखित कर लगाए थे:
  - गैर-निवासी कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन भुगतान पर 6% समानीकरण उपकर।
  - विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्मों पर 2% अधिभार।
- ये कर वर्ष 2025 में हटा दिए गए। नए व्यापारिक संकल्प के अंतर्गत भारत अब विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियों पर ऐसे कर पुनः लागू नहीं कर सकेगा।

चिंताएँ

- **तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य:** अमेरिका ने बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं।
  - यूरोपीय संघ, हालांकि, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को डिजिटल सेवाएँ अधिनियम (DSA) और डिजिटल बाज़ार अधिनियम (DMA) जैसे साधनों के माध्यम से विनियमित करता है।

- **एआई और मूल्य अधिग्रहण:** एआई प्रणालियाँ कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs), वित्त और सेवाओं में तीव्रता से समाहित हो रही हैं।
  - आशंका है कि विदेशी एआई प्रदाता आर्थिक मूल्य का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक तकनीकी निर्भरता उत्पन्न हो सकती है।
- **नीतिगत स्वतंत्रता का ह्रास:** व्यापारिक समझौतों के अंतर्गत बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ भारत की भविष्य में डिजिटल और एआई-आधारित आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं।
  - जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियाँ ऑनलाइन स्थानांतरित होती जा रही हैं, डिजिटल कर राजस्व एक महत्वपूर्ण राजकोषीय संसाधन बन सकता है।
- **घरेलू डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:** भारतीय डिजिटल स्टार्टअप और एआई डेवलपर बिना वित्तीय संरक्षण या नियामक लाभ के प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं।

आगे की राह

- भारत को अपनी डिजिटल कर संरचना को OECD/G20 समावेशी ढाँचे (आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण–BEPS) के साथ संरेखित करना चाहिए, ताकि वैधता सुनिश्चित हो और प्रतिशोधात्मक व्यापारिक उपायों से बचा जा सके।
- एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण एवं सीमा-पार डेटा अंतरण ढांचा ऐसा होना चाहिए जो खुलापन बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करे।
- किसी भी द्विपक्षीय डिजिटल प्रतिबद्धता में समीक्षा तंत्र शामिल होना चाहिए, ताकि समय के साथ तकनीकी, राजकोषीय और प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावों का आकलन किया जा सके।

स्रोत: FE

"कृषि मंत्री द्वारा छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि मॉडल अपनाने का आग्रह

संदर्भ

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि मॉडल विकसित करने का आह्वान किया।

परिचय

- उन्होंने उल्लेख किया कि पोल्ट्री, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी तथा अन्य कृषि-आधारित खेती को एकीकृत करने वाले मॉडल छोटे किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने में सहायक होंगे।
- उन्होंने यह भी आग्रह किया कि प्रयोगशालाओं में विकसित किस्मों और संकरों को किसानों तक पहुँचने में लगने वाले समय को चार-पाँच वर्षों से घटाकर केवल दो वर्ष किया जाए।

एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS)

- एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) दो या अधिक घटकों — जैसे बागवानी फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री/बतख पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन — के बीच सकारात्मक अंतःक्रिया है।
- यह न्यूनतम प्रतिस्पर्धा और अधिकतम परस्पर पूरकता के सिद्धांतों का उपयोग उन्नत कृषि प्रबंधन उपकरणों के साथ करती है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल कृषि आय, पारिवारिक पोषण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखना है।

IFS के उद्देश्य

- खेत की विभिन्न उप-प्रणालियों से उत्पन्न अपशिष्ट को सहजीवी प्रणालियों का विस्तार करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादकता हेतु ऊर्जा, उर्वरक और चारे के रूप में उपयोग करना।
- उपयुक्त फसल पद्धति, अंतरफसलन, मिश्रित फसल चक्रण आदि का चयन कर प्रतिस्पर्धा को कम करना और जल, पोषण तथा स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करना।
- उपलब्ध संपूर्ण क्षेत्र का प्रभावी उपयोग करना तथा जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण कृषि को विविधीकृत कर जोखिमों को न्यूनतम करते हुए खेत परिवार के आहार विविधीकरण में सुधार करना और सतत आजीविका प्राप्त करना।

IFS का प्रभाव

- **उच्चतर समग्र उत्पादकता:** IFS एकल फसल प्रणाली की तुलना में कुल उत्पादन बढ़ाता है।

- **कृषि आय में वृद्धि:** विविधीकृत उद्यम (डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, बागवानी) कुछ क्षेत्रों में शुद्ध आय को तीन गुना तक बढ़ा सकते हैं।
- **सालभर आय स्थिरता:** बहु-उद्यम एकल फसल पर निर्भरता कम करते हैं और निरंतर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।
- **पोषण सुरक्षा में सुधार:** फसल और गृह उद्यान की विविधता आहार विविधता एवं खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है।
- **महिलाओं की आर्थिक भागीदारी:** डेयरी, पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आजीविका अवसरों का विस्तार होता है।
- **मृदा स्वास्थ्य सुधार:** पोषक तत्व पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है, मृदा कार्बनिक कार्बन बढ़ाता है, सूक्ष्मजीव गतिविधि को प्रोत्साहित करता है और अपरदन को कम करता है।
- **जैव विविधता एवं पारिस्थितिक लाभ:** फसल और प्रजाति विविधता बढ़ाता है, पोषक तत्व चक्रण में सुधार करता है तथा अवशेष पुनर्चक्रण तथा कृषि-वनीकरण एकीकरण के माध्यम से उत्सर्जन को संभावित रूप से कम करता है।

सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):** जलवायु-संवेदनशील और सतत कृषि को बढ़ावा देता है।
  - एकीकृत फसल, पशुधन, बागवानी और मत्स्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करता है।
  - मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और संसाधन-उपयोग दक्षता पर केंद्रित है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** सिंचाई कवरेज बढ़ाता है और "प्रति बूंद अधिक फसल" को बढ़ावा देकर जल-उपयोग दक्षता सुनिश्चित करता है।
  - बागवानी और मत्स्य-आधारित जल-कुशल एकीकृत मॉडल का समर्थन करता है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** पशुधन विकास (डेयरी, पोल्ट्री, छोटे जंतुओं) को समर्थन देता है और फसल कृषि के साथ पशुधन एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- **बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (MIDH):** फल, सब्जियाँ, मसाले, बागान फसलें को बढ़ावा देता है, जो विविधीकरण को सुदृढ़ करता है और IFS का प्रमुख स्तंभ है।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) एवं कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs):** क्षेत्र-विशिष्ट IFS मॉडल विकसित करते हैं और प्रदर्शन व किसान प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
  - यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

स्रोत: AIR

संक्षिप्त समाचार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि (11 फरवरी) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916–1968)

- **जन्म:** 25 सितंबर, 1916
- वे एक राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री और भारतीय जनसंघ (BJS) के संस्थापक थे।
- उन्होंने कानपुर में अध्ययन किया और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़कर 1942 में पूर्णकालिक प्रचारक बने।
- वे एकात्म मानव दर्शन के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक विकास के बीच सामंजस्य, विकेंद्रीकरण एवं आत्मनिर्भर ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया।
- उन्होंने राष्ट्रधर्म (मासिक), पांचजन्य (साप्ताहिक) और स्वदेश (दैनिक) जैसे प्रकाशनों के माध्यम से वैचारिक पत्रकारिता में योगदान दिया।

विरासत

- उन्होंने अंत्योदय की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है "सबसे अंतिम व्यक्ति का उत्थान," अर्थात समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों को ऊपर उठाना।

- उनके नाम पर सरकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं, जैसे:
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

स्रोत: PIB

भारत द्वारा 2025 में दर्ज किया सर्वाधिक चाय निर्यात

संदर्भ

- भारत ने 2025 में अपना सर्वाधिक चाय निर्यात दर्ज किया, जनवरी–दिसंबर 2025 के दौरान 280.40 मिलियन किलोग्राम तक पहुँचते हुए। यह 2024 के 256.17 मिलियन किलोग्राम की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

चाय के बारे में

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है।
- **निर्यातित चाय के प्रकार:** मुख्यतः काली चाय (96%), साथ ही नियमित, ग्रीन, हर्बल, मसाला और नींबू चाय की थोड़ी मात्रा।
- **प्रमुख कारण:** पश्चिम एशिया, विशेषकर इराक, यूएई और ईरान को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि, जो अब भारत के चाय निर्यात का 20% है।
  - चीन को निर्यात 2024 के 6.24 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2025 में 16.13 मिलियन किलोग्राम हो गया।
  - भारत के निर्यात गंतव्य: 25 से अधिक देश, जिनमें यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं।
- **प्रमुख चाय क्षेत्र:** असम (असम घाटी, कछार) और पश्चिम बंगाल (डुआर्स, तराई, दार्जिलिंग)।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** भारतीय चाय, विशेषकर असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि, अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।
  - चीन विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, इसके बाद भारत का स्थान है।

चाय उत्पादन की भौगोलिक स्थिति

- चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है।
- **आवश्यकताएँ:**
  - **जलवायु:** गर्म और आर्द्र, वर्षभर पाला-रहित।
  - **मृदा:** गहरी, उपजाऊ, जल निकासी वाली, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध।
  - **तापमान:** 15–23°C वार्षिक औसत।
  - **वर्षा:** 150–200 सेमी, वर्षभर समान रूप से वितरित।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** असम, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ), तमिलनाडु और केरल।
- **अन्य राज्य:** हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा।

भारतीय चाय बोर्ड

- 1954 में चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित।
- **उद्देश्य:** भारतीय चाय उद्योग का विनियमन और उत्पादकों के हितों की रक्षा।
  - भारत के चाय उत्पादन क्षेत्रों की सभी चाय का प्रशासन चाय बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- बोर्ड में 32 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है।
- **मुख्यालय:** कोलकाता।

स्रोत: BS

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025

संदर्भ

- भारत को नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट (2026 में जारी) में 45वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें उसका स्कोर 100 में से 54.43 है।

परिचय

- यह रिपोर्ट पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है, जो वॉशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी शोध एवं शैक्षिक संस्थान है।

- रिपोर्ट 127 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क-आधारित तत्परता परिदृश्य का आकलन करती है, जिसमें चार स्तंभ शामिल हैं: प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, शासन और प्रभाव। इसमें कुल 53 संकेतक सम्मिलित हैं।
- **शीर्ष तीन राष्ट्र:** अमेरिका, फ़िनलैंड, सिंगापुर।
- **भारत की उपलब्धियाँ"**
  - **प्रथम स्थान:** दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, एआई वैज्ञानिक प्रकाशन, आईसीटी सेवाओं का निर्यात और ई-कॉमर्स विधेयक।
  - **द्वितीय स्थान:** FTTH/भवन इंटरनेट सदस्यता, देश के अंदर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफ़िक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ।
  - **तृतीय स्थान:** घरेलू बाज़ार का पैमाना और आय असमानता।
- भारत निम्न-मध्यम आय वाले देशों के समूह में द्वितीय स्थान पर है।

स्रोत: PIB

अमेरिका–बांग्लादेश व्यापार समझौता अमेरिकी बाज़ार में भारत की शुल्क बढ़त को प्रभावित करता है

संदर्भ

- अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है।

परिचय

- अमेरिका–बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत, अमेरिकी शुल्क दरें बांग्लादेशी निर्यात पर 20% से घटाकर 19% कर दी गई हैं, जो 2025 में लगाए गए 37% शुल्क की तुलना में काफी कम है।
  - इस समझौते में कुछ परिधान उत्पादों के लिए शून्य-शुल्क पहुँच की सुविधा दी गई है, बशर्ते वे अमेरिकी मूल के कपास और कृत्रिम रेशों से निर्मित हों।
- **भारत का निर्यात:** भारत ने 2024–2025 में बांग्लादेश को 1.47 अरब डॉलर मूल्य का कपास धागा (570 मिलियन किलोग्राम) निर्यात किया, जो भारतीय धागे का सबसे बड़ा गंतव्य है।
  - बांग्लादेश के लगभग 20% परिधान निर्यात और भारत के 26% कपास परिधान निर्यात अमेरिका को जाते हैं।
- **भारत के लिए चिंता:** बांग्लादेश के लिए शून्य-शुल्क प्रावधान भारत की सापेक्ष शुल्क बढ़त को निष्प्रभावी कर सकता है। भारत–अमेरिका समझौते के अंतर्गत वस्त्रों पर औसत शुल्क लगभग 18% तक घटने की संभावना है।
  - **कच्चे कपास सामग्री का निर्यात:** इस श्रेणी में भारत के 70% से अधिक निर्यात बांग्लादेश को जाते हैं।
    - अमेरिकी कपास की ओर झुकाव भारतीय आपूर्ति को सीधे विस्थापित कर सकता है।

स्रोत: TH

गोल्ड ईटीएफ

संदर्भ

- भारत में प्रथम बार जनवरी माह में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में निवेश इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स में प्रवाह से अधिक रहा।

परिचय

- यह सोने को निवेश विकल्प के रूप में बढ़ती मांग को रेखांकित करता है, क्योंकि सोने की कीमतें लगातार नए उच्च स्तर पर पहुँच रही हैं।
- जनवरी 2026 में गोल्ड ETFs में निवेश दिसंबर 2025 की तुलना में दोगुने से अधिक होकर 24,040 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs)

- गोल्ड ETF एक ऐसा फंड है जो सोने की बुलियन में निवेश करता है और सोने की कीमत के प्रदर्शन को ट्रैक करने का लक्ष्य रखता है।
- इन्हें शेयरों की तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर डिमैट और ट्रेडिंग खाते के माध्यम से कारोबार किया जाता है।
- इनका मूल्य मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों और रुपये–डॉलर विनिमय दरों के साथ चलता है।

महत्त्व

- इन्हें आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा/बेचा जा सकता है और भौतिक भंडारण या तिजोरी की आवश्यकता नहीं होती।
- सोने का इक्विटी बाज़ारों के साथ सामान्यतः कम सहसंबंध होता है, जिससे पोर्टफोलियो में जोखिम विविधीकरण में मदद मिलती है।

गोल्ड ETFs और डिजिटल गोल्ड में अंतर

- **नियमन:** गोल्ड ETFs का नियमन SEBI द्वारा किया जाता है, जबकि डिजिटल गोल्ड किसी वित्तीय बाज़ार नियामक द्वारा नियंत्रित नहीं है।
- **खरीद का प्लेटफ़ॉर्म:** गोल्ड ETFs स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किए जाते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खरीदा जाता है।
- **डिमैट आवश्यकता:** गोल्ड ETFs के लिए डिमैट और ट्रेडिंग खाता आवश्यक है; डिजिटल गोल्ड के लिए नहीं।
- **मूल्य निर्धारण तंत्र:** गोल्ड ETFs की कीमतें बाज़ार-आधारित और पारदर्शी होती हैं; डिजिटल गोल्ड की कीमतों में प्लेटफ़ॉर्म द्वारा निर्धारित अंतर (स्प्रेड) शामिल होता है।

स्रोत: IE

■■■■